

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
(पुरातत्व निदेशालय)
अधिसूचना

पटना, दिनांक.....

सं० 5पुरा/सु-1-02/16/47-— राज्य सरकार ने बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (पुरातत्व निदेशालय) की अधिसूचना संख्या-5पुरा/सु-1-02/16/47 सहपठित ज्ञापांक-47 दिनांक 13.02.2017 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातात्विक स्थल अरवल जिला के कुर्था प्रखंड के ग्राम लारी में अवस्थित लारी गढ़, लारी पोखर एवं सती स्थान मंदिर को प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल/अवशेष के रूप में सुरक्षित घोषित करने की प्रस्ताव सम्बन्धी अधिसूचना "बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कला, निधि अधिनियम, 1976" की धारा-3 की उपधारा-1 के प्रावधान के अन्तर्गत अधिसूचित कर, इसकी एक प्रति उक्त प्राचीन स्मारक/पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष के निकट स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य स्थल पर चिपका दी गई थी। इसके लिए दो माह की अवधि के अन्दर आपत्ति अथवा सुझाव आमंत्रित किए गये थे।

जनता को उपलब्ध कराई गई उक्त राजपत्रित अधिसूचना के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप उक्त स्थल को सुरक्षित घोषित किए जाने योग्य समझा गया।

अतएव एतद् द्वारा राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल/अवशेष को सुरक्षित घोषित करती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(मीना कुमारी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, ई० गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु सी०डी० के साथ प्रेषित।

ह०/-

(मीना कुमारी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 360

पटना, दिनांक 08/01/17

प्रतिलिपि:-बिहार राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक पुरातत्व/जिलाधिकारी, अरवल/अधीक्षण पुरातत्वविद्, पटना, अंचल, पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुर्था/अंचलाधिकारी, कुर्था, जिला अरवल एवं विभागीय आई. टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मीना कुमारी)

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित किये जानेवाले प्राचीन पुरातात्विक स्थल/अवशेष/की राजस्व विवरणी

क्र	पुरास्थल / स्मारक का नाम	अवशेष	खाता	खेसरा	रकबा एकड़ / डि.	चौहद्दी	जमीन की किस्म	ग्राम	मौजा	प्रखंड	थाना	थाना न०	जिला	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	लारी गढ़	-	2	857	26=62	उ०- पी०सी०सी० रास्ता द०- लारी से टेकारी पक्की सड़क पू०- सुनील शर्मा वगैरह रैयत प०- लारी से टेकारी पक्की सड़क	परती कदीम	लारी	लारी	कुर्था	कुर्था	184	अरवल	वर्तमान में यह लारी गढ़ के रूप में है।
2	लारी पोखर	-	2	525	25=52	उ०- प्लॉट 526 बादहु, 153,154,158,159,160,169 द०- रोड पू०- प्लॉट 526,776 सती स्थान, रास्ता प०- प्लॉट 526, मुरद घटी, प्लॉट 518,519	पोखर	लारी	लारी	कुर्था	कुर्था	184	अरवल	
3	सती स्थान मंदिर	-	2	676	0=05	उ०- समुदायिक भवन द०- पोखर पू०- रास्ता प०- पोखर	सती स्थान	लारी	लारी	कुर्था	कुर्था	184	अरवल	

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मीना कुमारी)

सरकार के सचिव।